



महिलाओं का सशक्तिकरण

महिलाओं का सशक्तिकरण

1. सीआईएल

महिलाओं का सशक्तिकरण

दिनांक 01.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रतिष्ठानों के तहत सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में लगभग 19,641 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में महिला मंच (डब्ल्यूआईपीएस) की स्थापना दिनांक 12 फरवरी, 1990 को स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (एससीओपीई) के तत्वाधान में की गई थी। कोल इंडिया में यह 1990 में अस्तित्व में आया। यह मंच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में महिला सशक्तिकरण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड में एक यौन उत्पीड़न शिकायत समिति है जिसमें भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सदस्य शामिल हैं। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अनुसार मातृत्व अवकाश के अलावाय महिला कर्मचारियों को उनके अनुरोध पर एक या एक से अधिक चरणों में 18 वर्ष की आयु तक 2 जीवित बच्चों के लिए 730 दिनों तक शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है।

एससीसीएल

महिला कर्मचारियों की संख्या:

31.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार एससीसीएल के रोल पर 1622 महिला कर्मचारियों सहित कर्मचारियों की संख्या 43,000 है।

महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना:

- क) कंपनी की महिला कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के उपबंधों को लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत, महिला कर्मचारियों को प्रसूति प्रसुविधा अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
- ख) सभी क्षेत्रों में, प्रभावी कामकाज और महिलाओं के रोजगार से संबंधित महिला कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण के लिए महिला कर्मचारियों के साथ महिला प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। संबंधित क्षेत्र के महिला

प्रकोष्ठ की संयोजक महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए समिति के सदस्यों के साथ नियमित बैठकें करती हैं।

- ग) एससीसीएल में विशेष रूप से उन महिलाओं, जिनके बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम है, के लिए 720 दिनों की अवधि के लिए अलग से शिशु देखभाल अवकाश लागू किया गया है, जिसके माध्यम से संगठन में महिला कर्मचारियों को विभिन्न तरीकों से लाभ होता है।

एसईडब्ल्यूए (सिंगरेनी एम्पलॉय वाइक्स एसोसिएशन)

कर्मचारियों की पत्नियों के सशक्तिकरण के लिए एसईडब्ल्यूए की स्थापना की गई है। एसईडब्ल्यूए स्वैच्छिक रूप से कर्मचारियों की पत्नियों और बेरोजगार युवाओं अर्थात् आस-पास के स्थानों के पीएपी और पीडीएफ को एससीसीएल प्रबंधन की सहायता से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई और कढ़ाई, ब्यूटीशियन, मोटर ड्राइविंग, मैगाम वर्क्स, कंप्यूटर हार्ड वेयर, पेपर कैरी बैग और लिफाफा बनाना आदि जैसे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए संगठित करता है।



सिंगरेनी एम्पलॉय वाइक्स एसोसिएशन द्वारा स्व-रोजगार के लिए मैगाम वर्क्स में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाना



सिंगरेनी एम्प्लॉय वाइक्स एसोसिएशन द्वारा टेलरिंग में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाना



सिंगरेनी एम्प्लॉय वाइक्स एसोसिएशन द्वारा पेपर कवर बनाने में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाना

एनएलसी इंडिया लिमिटेड

महिलाओं का सशक्तिकरण

31 दिसम्बर, 2022 तक की स्थिति के अनुसार एनएलसी इंडिया लिमिटेड में कुल 895 महिला कर्मचारी रोल पर हैं जिनमें 305 कार्यपालक हैं। उनकी क्षमता के विकास के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन किया गया था:

- ❖ एक डॉक्टर सहित वरिष्ठ महिला कार्यपालकों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया गया था ताकि कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न से बचाया जा सके।
- ❖ सेवारत महिला कर्मचारियों के लाभार्थ 'अनबालय' नामक शिशुसदन की शुरूआत की गई जिसमें प्रशिक्षित कार्मिक सेवारत है।
- ❖ एनएलसी इंडिया लि. के डब्ल्यूआईपी समूह ने भी महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए कई खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यकलाप, सामूहिक परिचर्चाओं का आयोजन किया है।
- ❖ महिलाओं हेतु कौशल विकास पाठ्यक्रम

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए कौशल भारत मिशन के अनुसार, एनएलसीआईएल द्वारा कौशल विकास एवं व्यापक स्तर पर उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने हेतु कई सारी पहल की गई हैं।

एनएलसीआईएल ने निम्न व्यवसाय भूमिकाओं में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु नये कौशल एवं उद्यम विकास प्रशिक्षण दिया है:

- ❖ स्व-रोजगार टेलरिंग
- ❖ असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट
- ❖ घरेलू डाटा एंट्री ऑपरेटर
- ❖ फैशन जैलरी
- ❖ जनरल ड्यूटी सहायक
- ❖ हस्तनिर्मित अगरबत्ती
- ❖ सिलाई मशीन ऑपरेटर
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

एनएलसीआईएल ने दिनांक 08 मार्च, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2022 भव्य ढंग से मनाया। प्रथ्यात हस्ती तेलंगाना एवं पुदुचेरी की माननीय राज्यपाल श्रीमती तमिलिसाई सुंदर राजन ने राष्ट्र निर्माण में एनएलसीआईएल के योगदान और महिला सशक्तिकरण पर उनके प्रयासों की प्रशंसा की है।

- ❖ महिलाओं हेतु आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ❖ महिला कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य एवं स्वच्छता।
- ❖ महिला कर्मचारियों के लिए सड़क सुरक्षा।
- ❖ महिलाओं के लिए सेफ ड्राइवर्स प्रैविट्स।
- ❖ महिलाओं के लिए तनाव प्रबंधन।
- ❖ महिलाओं के लिए संधारणीय विकास।
- ❖ महिला सशक्तिकरण।
- ❖ महिला कर्मचारियों के लिए कामकाजी-जीवन में संतुलन।

